Rajasthan High Court Web Copy - Not Official

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

S.B. Civil First Appeal No. 117/2014

1. ACME Cleantech Solutions Limited (Formerly known as ACME Tele Power Ltd.), Plot No. 152, Sector-44, Gurgoan-122002 (Haryana) India
2. M/s. ACME Tele Power Ltd., 3-8, 29-34, Sector-5E, Sidhkul, Pantnagar, Uttaranchal (Factory Office)

----Appellants

Versus

Jitendra Maheshwari S/o Shri Roshan Lal Maheshwari, Owner and Karta Firm ERCON PREFABS, Plot No.3, Industrial Estate, Jodhpur. Second Address: Lilawati Estate, Gudha Road, Mogada Kala, Tehsil Luni, District Jodhpur.

----Respondent

For Appellant(s)	:	Mr. Mudit Balia on behalf of Mr. Vinay Jain
For Respondent(s)	:	Mr. Jitendra Maheshwari, Present in Person

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA SHEKHAR SHARMA

Judgment

Date of Judgment 11/08/2025

धारा 96 सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन यह सिविल प्रथम अपील अपीलार्थी–प्रतिवादीगण ने विद्वान अपर जिला न्यायाधीश, संख्या 05, जोधपुर महानगर के द्वारा मूल दीवानी वाद संख्या 193/2012 जितेन्द्र माहेश्वरी बनाम मैसर्स एकमे टेली पॉवर लिमिटेड व अन्य में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18 जनवरी, 2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय ने वाद वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण रुपये 20,00,681 से डिक्री किया एवं वादी को दावा दायरी से वसूली तक 9 प्रतिशत सालाना साधारण

(Downloaded on 12/08/2025 at 10:33:04 AM)

दर से ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी बताया, जिससे व्यथित होकर यह सिविल प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है।

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official सत्यमेव जयते

02. इस अपील के निस्तारण हेतु प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी, मैसर्स एरकॉन प्रीफेब्स फर्म के नाम से व्यवसाय करता है। वादी की फैक्ट्री पूर्व में औद्योगिक संपदा, जोधपुर में थी एवं वर्तमान में पाली रोड़ पर स्थित मोगड़ा कलां में आई हुई है। वादी प्रीफेब्रीकेटेड स्ट्रक्चर्स बना कर विक्रय करने का व्यवसाय करता है। इस स्ट्रक्चर का उपयोग मोबाईल टावर के शेल्टर रूम के रूप में भी किया जाता है। प्रतिवादी कम्पनी गुड़गांव (हरियाणा) रजिस्टर्ड एक लिमिटेड कम्पनी है, जो मोबाईल टावर से संबंधित व्यावसाय करती है।

03. प्रतिवादी कंपनी द्वारा दिनांक 08.02.2007 को 160 टेलीकॉम शेल्टर खरीदने का ऑर्डर दिया गया, जिसे वादी द्वारा खरीद ऑर्डर में निर्धारित दर से बिल संख्या 05 व 06 के जरिए कुल 16,00,984 रुपये का माल प्रतिवादी फर्म को भिजवा दिया। प्रतिवादी फर्म द्वारा उक्त दोनों बिलों का भुगतान अन्य बिलों में रेट डिफरेन्स बताते हुए 15,75,340 रुपये की कटौती करते हुए 25,644 रुपये का आंशिक भुगतान जरिए चेक किया गया।

04. प्रतिवादी फर्म पर तीस दिन के अन्दर भुगतान अदा नहीं करने पर बिल संख्या 05 व 06 के अनुसार 24 प्रतिशत सालाना ब्याज भुगतान करने की शर्त अधिरोपित है। प्रतिवादी कंपनी द्वारा वादी को प्रेषित डेबिट नोट दिनांकित 30.05.2007 में बिल संख्या 05 व 06 की राशि बकाया होना स्वीकार किया गया है। वादी ने प्रतिवादी कंपनी से बकाया राशि का भुगतान करने हेतु कई बार तकाजा किया परंतु प्रतिवादी कंपनी ने नोटिस मिलने के बावजूद बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है।

(Downloaded on 12/08/2025 at 10:33:04 AM)

05. अंत में दावा प्रस्तुत कर वादी ने प्रतिवादीगण से बकाया राशि 21,50,378 रुपये तावसूली 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से मय खर्चे प्रतिवादीगण से दिलवाए जाने का निवेदन किया।

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official

06. प्रतिवादीगण की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत कर वादपत्र के पैरा संख्या 2, 3 व 4 में अंकित तथ्यों को स्वीकार किया व शेष तथ्यों को अस्वीकार करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रतिवादी के क्रय आदेश संख्या 914101 दिनांक 08.02.2007 के अनुसार वादी को माल भेजना था, जिसमें वेट, उत्पाद शुल्क व किराया अलग था एवं वादी द्वारा उक्त क्रय आदेश के अनुसरण में बिल संख्या 5 व 6 बनाकर भेजे गए। प्रतिवादी द्वारा वादी को पूर्व में जो क्रय आदेश संख्या 911485 दिनांक 16.06.2006 को दिया गया था, उसमें उत्पाद शुल्क व अन्य करों के बारे में स्पष्ट वर्णित था। वादी द्वारा विभिन्न बिलों के जरिए जो माल भेजा गया, वह प्रतिवादी को प्राप्त हो गया, लेकिन उनमें आइटम की दर के साथ उत्पाद शुल्क की गणना कर दी, जो नियमानुसार गलत है। आइटम की दर लगाकर अलग से उत्पाद शुल्क की गणना करनी चाहिए थी।

07. प्रतिवादी को जानकारी होने पर सभी क्रय आदेशों की नियमानुसार गणना कर वादी को 15,75,340 रुपये का डेबिट नोट दिनांक 30.05.2007 को भेजा गया तथा शेष रुपये का भुगतान किया गया। वादी की प्रतिवादी में कोई रकम बकाया नहीं है तथा वादी ने स्वीकार किया है कि अकाउण्ट सेटल हो गया है। नियम के अनुसार उत्पाद शुल्क बिल में अलग से इन्द्राज होना चाहिए, जिससे प्रतिवादी को आगे इसका इनपुट मिल सके। वादी के द्वारा उत्पाद शुल्क के रूप में 2,42,360 रुपये विभाग में जमा करवाने की जानकारी प्रतिवादी को होने पर प्रतिवादी ने उक्त राशि का क्रेडिट नोट वादी को भेज जरिए चेक दिनांक 14.03.2008 के भुगतान कर दिया। वादी ने मूल में ही उत्पाद शुल्क लगाकर बिल बनाया, जिसका आगे इनपुट प्रतिवादी को नहीं मिला। वादी के द्वारा उत्पाद शुल्क अलग से नहीं लगाने की वजह से

(Downloaded on 12/08/2025 at 10:33:04 AM)

प्रतिवादी के खाते में उत्पाद शुल्क जमा नहीं हुआ तथा प्रतिवादी को इसका फायदा नहीं मिला। प्रतिवादी नियमानुसार बने उत्पाद शुल्क का भुगतान करने हेतु हमेशा तैयार रहा है। वादी ने चालाकी से तथा कम्पनी को धोखा देने की नियत से उत्पाद शुल्क अलग से नहीं बताया तथा उत्पाद शुल्क संबंधित विभाग में जमा नहीं करवाकर कानून के विपरीत कार्य किया है। वादी ने जो उत्पाद शुल्क विभाग में जमा करवाया था, उसका भुगतान प्रतिवादी द्वारा जरिए चेक दिनांक 14.03.2008 के किया जा चुका है।

08. वादी द्वारा दिनांक 14.01.2010 को भेजे गए ई–मेल में सारा अकाउण्ट सेटल होने बाबत कथन किए हैं। जिस सेटलमेंट के तहत प्रतिवादी द्वारा वादी को 3,25,000 रुपये का भुगतान चेक के माध्यम से दिनांक 14.09.2009 को किया गया। वादी द्वारा भेजे गए नोटिस का जवाब भी प्रतिवादीगण द्वारा दिया जा चुका है। अंत में, प्रतिवादीगण ने वादी का वाद कोई बकाया राशि नहीं होने, वाद मियाद बाहर होने, क्षेत्राधिकार में नहीं होने व जोधपुर में वाद हेतुक उत्पन्न नहीं होने के आधार पर खारिज किए जाने का निवेदन किया।

09. वादी की ओर से जवाबुल जवाब प्रस्तुत कर जवाब दावे के पैरा संख्या 5, 6 व 8 में वर्णित तथ्यों को गलत होने से अस्वीकार करते हुए व्यक्त किया गया कि अगर गलत दर से बिल बना कर प्रतिवादीगण को वादी द्वारा भेजे जाते तो उसी समय आपत्ति की जाती एवं बिलों की राशि के अनुसार भुगतान नहीं किया जाता। प्रतिवादीगण को वर्ष 2005 में भी शेल्टर विक्रय किए गए थे एवं प्रतिवादीगण ने इसी दर से उनका भुगतान किया था। वर्ष 2005 में प्रतिवादी का उत्पाद शुल्क से कवर्ड नहीं था, जिस कारण से वादी ने प्रति शेल्टर 89,200 रुपये की दर से शेल्टर विक्रय करने का प्रस्ताव रखा, जिसको प्रतिवादीगण ने स्वीकार किया। प्रतिवादीगण को इसी दर से माल भेजा गया। वादी ने जिस बकाया राशि का वाद प्रस्तुत किया है, वह सही तथ्यों पर आधारित है एवं प्रतिवादीगण ने गलत आशय से जो कथन किए हैं, उनसे

(Downloaded on 12/08/2025 at 10:33:04 AM)

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official

वादी बाध्य नहीं है। अंत में वादी का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण मय खर्चे एवं ब्याज सहित डिक्री किए जाने का निवेदन किया।

10. पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 05.03.2011 को निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किए गए :–

"(1) आया प्रतिवादी ने वादी द्वारा विक्रय किये गये माल में से बिल संख्या 5 दिनांक 20.04.2007 एवं बिल संख्या 6 दिनांक 24.04.2007 के अतिरिक्त समस्त बकाया राशि का भुगतान वादी को कर दिया ?

–वादी

(2) आया प्रतिवादीगण ने बिल संख्या 5 एवं बिल संख्या 6 के जरिये 16,00,984 रुपये की कीमत का जो माल खरीद किया उसमें से 15,75,340 रुपये की गलत कटौती करते हुए, केवल 25,644 रुपये का ही भुगतान वादी को किया ?

–वादी

(3) आया वादी प्रतिवादीगण से मूल राशि 15,75,340 रुपये एवं ब्याज के रुपये 5,75,038 रुपये कुल रुपये 21,50,378 रुपये प्राप्त करने का अधिकारी है ?

– वादी

(4) आया वादी द्वारा प्रस्तुत जवाबुल जवाब के अनुसार प्रतिवादीगण ने इनवोइस नम्बर 5 व 6 का माल स्वतंत्र परचेज ऑर्डर के जरिये तय सुदा दर से खरीद किया था, एवं प्रतिवादीगण को इनवोइस नम्बर 5 व 6 की बकाया राशि में कोई कटौती करने का अधिकार नहीं है ?

–वादी

(5) आया जवाब दावे के पद संख्या 5 में वर्णित तथ्यों के अनुसार वादी को माल की कीमत एवं उत्पादन शुल्क की

(Downloaded on 12/08/2025 at 10:33:04 AM)

RAJASTHAN HIGH COURT
सत्यमेव जयते

Rajasthan High Court
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अलग अलग गणना करते हुए, इनवोइस बनाने चाहिए थे ?

–प्रतिवादी

(6) आया जवाब दावे के पद संख्या 5 व 6 में वर्णित तथ्यों के अनुसार वादी फर्म के श्री मयूर माहेश्वरी ने ई–मेल भेज कर एकाउन्ट सेटल कर दिया था ?

–प्रतिवादी

(7) आया प्रतिवादी कम्पनी ने वादी को दिनांक 30.05.2007 को जो डेबिट नोट भेजा उसका वादी ने गलत अर्थ लगाया है ?

–प्रतिवादी

(8) आया जवाब दावे के पद संख्या 9 में वर्णित तथ्यों के अनुसार पक्षकारान के बीच पूरा हिसाब सेटल हो चुका है, एवं प्रतिवादी ने वादी के साथ व्यापार बन्द कर दिया है। इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को हैरान व परेशान करने की नियत से गलत दावा किया है।

–प्रतिवादी

(9) दादरसी ?"

11. तत्पश्चात् विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 02.04.2012 को निम्नलिखित अतिरिक्त विवाद्यक विरचित किया गया :–

"(1) आया न्यायालय को वाद सुनवाई का क्षेत्राधिकार जवाबदावे के पद संख्या 12 के अनुसार नहीं है ?

–प्रतिवादी"

12. विचारण न्यायालय के समक्ष उपर्युक्त विवाद्यकों को साबित करने के लिए वादी की ओर से साक्ष्य में स्वयं वादी पी.डब्ल्यु.01 जितेन्द्र माहेश्वरी ने अपना साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किया तथा दस्तावेज साक्ष्य में प्रदर्श–1 से प्रदर्श–25 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। खंडन में प्रतिवादीगण की ओर से साक्ष्य में प्रतिवादी फर्म के सहायक प्रबंधक मृदुल गुप्ता ने साक्ष्य में अपना शपथ पत्र

(Downloaded on 12/08/2025 at 10:33:04 AM)

प्रस्तुत किया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श ए–1 से प्रदर्श ए–3 व प्रदर्श डी–1 से प्रदर्श डी–14 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए।

13. मैंने उभय पक्षकारान् के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी, आक्षेपित निर्णय एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

14. अपीलार्थी–प्रतिवादीगण के योग्य अधिवक्ता ने मुख्य रूप से यह तर्क दिए कि अपीलार्थी–प्रतिवादीगण के विरुद्ध विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी–वादी का वाद स्वीकार करते हुए डिक्री करते समय अभिलेख पर आई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का समुचित रूप से विवेचन एवं विश्लेषण नहीं किया गया है। प्रत्यर्थी–वादी को बिल संख्या 5 व 6 के अनुसार माल भेजना था और उसने बिल संख्या 5 व 6 क्रय आदेश दिनांक 08.09.2007 के अनुसार बनाकर भेजे थे। अपीलार्थीगण द्वारा पूर्व में मौखिक आदेश के द्वारा ऑर्डर भी दिया गया था, जिसे प्रत्यर्थी–वादी के कहने पर लिखित में दिनांक 16.06.2006 को आदेश दिया गया था और उक्त माल से संबंधित इनवॉयस प्रत्यर्थी–वादी द्वारा भेजे गए इन इनवायस में आइटम की दर के साथ उत्पाद शुल्क की गणना भी कर दी गई है, जबकि उत्पाद शुल्क की गणना अलग से करनी चाहिए थी। इन इनवॉयस का माल प्राप्त होने के बाद प्रत्यर्थी–वादी को भुगतान किया गया तथा भुगतान करने पर पता चला कि प्रत्यर्थी–वादी को गलत भुगतान कर दिया गया है। जिस पर डेबिट नोट दिनांक 30.05.2007 रुपये 15,75,340 का भेजा गया। वास्तव में प्रत्यर्थी–वादी की कोई भी रकम अपीलार्थीगण में बकाया नहीं थी। साथ ही इस बाबत जो प्रदर्श डी–15 ईमेल भेजा गया था, उसमें भी प्रत्यर्थी–वादी द्वारा अकाउंट सेटल होने के कथन करते हुए स्वीकार कर लिया गया था। वास्तव में प्रत्यर्थी–वादी द्वारा उत्पाद शुल्क अलग से नहीं लगाने के कारण अपीलार्थी–प्रतिवादीगण के खाते में उत्पाद शुल्क जमा नहीं हुआ और इसका फायदा अपीलार्थीगण को प्राप्त नहीं हो पाया। यदि प्रत्यर्थी–वादी ने उत्पाद शुल्क विभाग में जमा करवा दिया था

(Downloaded on 12/08/2025 at 10:33:04 AM)

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official

तो उसका प्रमाण भी पेश करना चाहिए था। प्रत्यर्थी–वादी द्वारा पूर्व में दिए गए बिलों की गणना गलत की गई, जिसको सही करते हुए डेबिट नोट प्रत्यर्थी–वादी को भेजा गया। इस संबंध में बिल संख्या 5 व 6 के साथ प्रदर्श डी–13, 14 एवं 15 को देखे जाने से भी स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि वास्तव में अपीलार्थी–प्रतिवादीगण की कोई राशि प्रत्यर्थी–वादी में बकाया नहीं रही थी। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विवाद्यक संख्या 2, 4 व 5 का भी संयुक्त रूप से एक साथ निस्तारण किया गया है, जो कि न्यायोचित नहीं था। इस प्रकार संपूर्ण साक्ष्य के आधार पर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी–वादी के वाद को स्वीकार करके जो निर्णय पारित किया गया है, उस निर्णय व डिक्री को अपास्त किए जाने का निवेदन किया।

15. उक्त तर्कों के खंडन में प्रत्यर्थी–वादी के योग्य अधिवक्ता ने मुख्य रूप से यह तर्क दिए कि वह मैसर्स एरकॉन प्रीबेब्स फर्म के नाम से व्यावसाय करता है, जिसका मालिक व कर्ता है। प्रत्यर्थी–वादी अपनी फर्म में प्रीफेब्रीकेटेड स्ट्रक्चर्स बनाकर विक्रय करता है, जो फर्म लघु उद्योग के रूप में रजिस्टर्ड है। जबकि अपीलार्थी–प्रतिवादीगण का रजिस्टर्ड कार्यालय गुड़गांव में आया हुआ है, जो कि मोबाईल टॉवर से संबंधित व्यावसाय करती है। अपीलार्थी–प्रतिवादीगण की कंपनी में प्रत्यर्थी–वादी को दिनांक 08.02.2007 को खरीद आदेश संख्या 914101 के जरिए 160 टेलीकॉम सेल्टर खरीदने का आदेश दिया था; जिनमें से 100 शेल्टर 82,000 रुपये प्रति युनिट से एवं 60 शेल्टर 67,000 रुपये प्रति युनिट से खरीदने का आदेश दिया था। उक्त माल का भुगतान 30 दिन में करने का वायदा किया गया था और आदेश के मुताबिक प्रत्यर्थी–वादी ने टेलीकॉम शेल्टर तैयार करके भिजवाए भी थे। भेजे गए माल के बिल क्रमशः बिल संख्या 5 एवं बिल संख्या 6 कुल 16,00,984 रुपये के थे। अपीलार्थी–प्रतिवादीगण ने बकाया राशि में से 15,75,340 रुपये काटकर 25,644 रुपये का आंशिक भुगतान कर दिया। प्रत्यर्थी–वादी ने उक्त

(Downloaded on 12/08/2025 at 10:33:04 AM)

गैर कानूनी कटौती की आपत्ति भी की थी और कानूनी नोटिस भी प्रेषित किया, उसके बावजूद भी बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया। इस प्रकरण में अपीलार्थी–प्रतिवादीगण का काउण्टर क्लेम भी था, जिसकी कोई कोर्ट फीस भी अदा नहीं की गई। वास्तव में जो संविदा थी, उसमें कोई ऐसी शर्त नहीं थी जिससे पूर्व के बिलों का भुगतान काट लिया जाता। इस बाबत अपीलार्थी–प्रतिवादीगण के ही गवाह डी.डब्ल्यु.01 मृदुल गुप्ता ने जो प्रतिपरीक्षण में साक्ष्य दी है, उससे भी स्थिति स्पष्ट हो जाती है। प्रत्यर्थी–वादी की ओर से प्रदर्श–5 नोटिस भी प्रेषित किया गया था। जो प्रदर्श डी–15 ईमेल भेजा जाना बताया गया है, वो किसी नवीन को भेजना बताया गया है, जो व्यक्ति कौन है, यह साक्ष्य से स्पष्ट नहीं है। जबकि प्रदर्श–6 सबसे पहला क्रय आदेश है, जिसके क्रम संख्या 03 में एक्साइज़ ड्यूटी इन्क्लूसिव है और माल की सप्लाई की कन्फर्मेशन भी प्रदर्श–24 व 25 है। जिन बिल संख्या 5 व 6 को डिस्प्यूट किया गया है, इस संदर्भ में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपने द्वारा पारित निर्णय में साक्ष्य का सही ढंग से विवेचन एवं विश्लेषण किया गया है। चूंकि विवाद्यक संख्या 2, 4 व 5 एक–दूसरे से संबंधित हैं, ऐसी स्थिति में केवल इस आधार पर निष्कर्ष को चुनौती नहीं दी जा सकती कि उनको संयुक्त रूप से तय किया गया है। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर, जो निष्कर्ष देकर निर्णय व डिक्री पारित की गई है, उसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं होने से अपीलार्थी–प्रतिवादीगण की यह अपील खारिज किए जाने का निवेदन किया।

16. मैंने उपर्युक्त परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया। विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष विवाद्यक संख्या 01 को साबित करने का भार वादी पर था। इस संबंध में स्वयं प्रत्यर्थी–वादी पी.डब्ल्यु.01 जितेन्द्र माहेश्वरी ने अपने शपथ पत्र के मख्य परीक्षण में यह कथन किए हैं कि अपीलार्थी–प्रतिवादी ने प्रदर्श ए–2 डेबिट वाउचर दिनांक 30.05.2007 एवं प्रदर्श–1 व प्रदर्श–2 के

(Downloaded on 12/08/2025 at 10:33:04 AM)

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official

जरिए माल खरीदना स्वीकार किया है और प्रदर्श ए–2 में इसकी अभिस्वीकृति करना भी बताया है। जो गैर कानूनी कटौती की गई थी, उस संबंध में डेबिट वाउचर प्रदर्श ए–2 भी प्रदर्शित किया गया है। प्रत्यर्थी–वादी की साक्ष्य के अनुसार अपीलार्थी–प्रतिवादी कंपनी को समस्त माल प्राप्त भी हो चुका था, जो कि उसके आदेशानुसार भेजा गया था और अपीलार्थी–प्रतिवादी कंपनी ने बिना किसी आपत्ति के इनवॉयस संख्या 05 व 06 की राशि के अलावा शेष सभी इनवॉयस की राशि पूरी अदा कर दी थी। इस गवाह के अनुसार जो माल अपीलार्थी–प्रतिवादी कंपनी को बिल संख्या 05 दिनांक 24.04.2008 के जरिए 8,00,492 रुपये एवं बिल संख्या 06 दिनांक 24.04.2008 के जरिए 8,00,492 रुपये का विक्रय किया, उसमें से केवल 25,644 रुपये का ही भुगतान किया गया। इस प्रकार बिल संख्या 05 व 06 की मूल राशि 15,75,340 रुपये बकाया रही। अपीलार्थी–प्रतिवादी कंपनी द्वारा 15,75,340 रुपये की राशि का गलत व गैर कानूनी कटौती करने कथन करते हुए इस कटौती का कोई अधिकार अपीलार्थी–प्रतिवादी कंपनी को नहीं होना बताया। विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी–प्रतिवादी कंपनी द्वारा जो जवाब दावा पेश किया गया था, उसमें उक्त बिलों को सही होना और माल भी प्राप्त होना स्वीकार किया गया है। अपीलार्थी–प्रतिवादी कंपनी द्वारा अपने जवाब दावा में बिल संख्या 05 व 06 के अलावा अन्य किसी भुगतान को वादी का प्रतिवादी में बकाया नहीं होना कथन किया और अपने जवाबदावे के पद संख्या 05 में उक्त दोनों ही बिलों में से पूर्व में पक्षकारों के मध्य हुए संव्यवहार का उल्लेख करते हुए बिल प्रदर्श–1 व प्रदर्श–2 में से कटौती करना कथन किया है। प्रदर्श–1 व प्रदर्श–2 के संबंध में गवाह पी.डब्ल्यु.01 जितेन्द्र माहेश्वरी से उक्त राशि बकाया नहीं होने के संदर्भ में कोई प्रतिपरीक्षण भी नहीं किया गया था। इस प्रकार उक्त विवाद्यक के संबंध में विचारण न्यायालय को केवल यही देखना था कि अपीलार्थी–प्रतिवादी कंपनी द्वारा बिल संख्या 05 व 06 के अतिरिक्त समस्त

(Downloaded on 12/08/2025 at 10:33:04 AM)

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official

बकाया राशि का भुगतान वादी को कर दिया गया था अथवा नही। इस संबंध में अपीलार्थी–प्रतिवादी कंपनी की ओर से परीक्षित डी.डब्ल्यु.01 मृदुल गुप्ता ने अपने साक्ष्य के शपथ पत्र में भी बिल संख्या 05 व 06 के ही संबंध में विवाद बताया है। इस प्रकार विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा जो निष्कर्ष विवाद्यक संख्या 01 के संबंध में दिया गया है वह अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के परिप्रेक्ष्य में उचित एवं विधिसम्मत है, जिसमें हस्तक्षेप किए जाने के कोई पर्याप्त आधार नहीं है।

17. विवाद्यक संख्या 02, 04 व 05 को विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा एक साथ तय किया गया है और इस संबंध में ही अपीलार्थी–प्रतिवादी कंपनी के योग्य अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान यह आपत्ति की गई है कि यह तीनों ही विवाद्यक संयुक्त रूप से गलत तय किए गए हैं, परन्तु इस संबंध में भी अभिलेख के अवलोकन से यह पाया जाता है कि ये सभी विवाद्यक एक–दूसरे से संबंधित होने के कारण ही इनको एक साथ तय किया गया है। क्योंकि पक्षकारों के द्वारा सभी उक्त तीनों ही विवाद्यकों पर मिश्रित साक्ष्य पेश किए जाने से सुविधा की दृष्टि से ही इन पर एक साथ निष्कर्ष दिया गया है और स्वयं प्रत्यर्थी–वादी ने भी अपने बयान पी.डब्ल्यु.01 में यह कहा है कि प्रतिवादी कंपनी का उसके आदेशानुसार जो माल भेजा गया था, उसके साथ–साथ उसके इनवॉयस भी भेजे गए थे और बिना किसी आपत्ति के इनवॉय संख्या 05 व 06 के अतिरिक्त शेष सभी इनवॉयस की पूरी राशि अदा कर दी गई है। प्रतिवादी कंपनी को जो माल बिल संख्या 05 दिनांक 24.04.2007 के जरिए 8,00,492 रुपये व बिल संख्या 06 दिनांक 24.04.2007 के जरिए 8,00,492 रुपये का विक्रय किया गया था, उसमें से मात्र 25,644 रुपये का ही भुगतान किया गया है और इस प्रकार प्रतिवादी कंपनी में बिल संख्या 05 व 06 की मूल राशि 15,75,340 रुपये बकाया होना बताते हुए इस राशि पर ब्याज दिलाने की भी प्रार्थना की गई है। साक्ष्य में यह भी कहा गया है कि प्रतिवादी

(Downloaded on 12/08/2025 at 10:33:04 AM)

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official

कंपनी द्वारा जो राशि काटी गई थी, वह गलत और गैर कानूनी है। बिल संख्या 05 व 06 में से बकाया राशि की कटौती करने का भी प्रतिवादी कंपनी को कोई अधिकार नहीं था और प्रतिवादी कंपनी के परचेज ऑॅर्डर संख्या 914101 में भी ऐसी कोई शर्त उल्लेखित नहीं थी कि प्रतिवादी इस क्रय आदेश के अंतर्गत सप्लाई किए गए माल की इनवॉयस किसी अन्य परचेज ऑॅर्डर के अन्तर्गत खरीद व भुगतान किए जा चुके बिलों के पेटे कोई रकम काट सकेगा। यदि ऐसा होता तो वह शर्त परचेज ऑॅर्डर में उल्लेखित होती। प्रतिवादी कंपनी ने जिन इनवॉयस संख्या 1, 2, 4, 6 से 15 व 17 के पेटे आदेश संख्या 914101 से रकम काटी जाना बताया है, ये समस्त बिल इस परचेज ऑॅर्डर के अंतर्गत भेजे गए माल के नहीं है। इस साक्ष्य के खंडन में अपीलार्थी–प्रतिवादी कंपनी की ओर से गवाह डी.डब्ल्यु.01 मृदुल गुप्ता को भी साक्ष्य में परीक्षित करवाया गया है, जो कि प्रतिवादी कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर तैनात है। उक्त गवाह ने अपने साक्ष्य के शपथ पत्र में कंपनी द्वारा वादी को जबानी आदेश के द्वारा आइटम का ऑॅर्डर दिया जाना और जिसे वादी द्वारा स्वीकार किया जाना कथन किया है। साथ ही इस गवाह के अनुसार वादी के कहने पर ही लिखित में परचेज ऑॅर्डर नंबर 911485 दिनांक 16.06.2006 को दिया, जिसके द्वारा तीन आइटम्स का ऑॅर्डर दिया गया था, उसमें दो आइटम्स की रेट 74,250 रुपये और एक आइटम की रेट 70,300 रुपये बताई थी। गवाह के अनुसार इसमें भी साफ तौर पर वर्णित था कि इस पर उत्पाद शुल्क 16.32 प्रतिशत तथा VIA/CST 4 प्रतिशत लगेगा। इस गवाह ने परचेज ऑॅर्डर की प्रति प्रदर्श ए–1 के द्वारा ही वादी को विभिन्न इनवॉयस के द्वारा विभिन्न तारीखों को माल भेजा जाना कथन किया। इस गवाह के अनुसार वादी ने आइटम की दर के साथ उत्पाद शुल्क की गणना भी कर दी, जो नियमानुसार गलत थी बल्कि उत्पाद शुल्क की अलग से गणना करनी चाहिए थी। गवाह के अनुसार इनवॉयस संख्या 1, 2, 4, 6 से

(Downloaded on 12/08/2025 at 10:33:04 AM)

15 व 17 का उत्पाद शुल्क, मूल शुल्क में गणना करने पर 15,75,340 रुपये अतिरिक्त चार्ज लगाया गया था और इसकी गणना करने पर ही पता चला कि वादी को गलत भुगतान कर दिया गया था, जिस पर वादी को दिनांक 30.05.2007 को 15,75,340 रुपये का डेबिट नोट भेजा गया था, जो कि प्रदर्श ए–2 है। इस गवाह ने मौखिक साक्ष्य के समर्थन में प्रदर्श ए–1 व प्रदर्श ए–2 दस्तावेज भी पेश किए। इस प्रकार मुख्य रूप से विवाद बिल संख्या 05 व 06 के संदर्भ में यही था कि क्रय आदेश संख्या 911485 के अंतर्गत भेजे गए माल के बिलों में एक्साइज ड्यूटी की गणना अलग नहीं करने के कारण 15,75,340 रुपये की कटौती की गई थी। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त संपूर्ण साक्ष्य के ही संदर्भ में यह भी माना गया कि जो क्रय आदेश प्रदर्श ए–1 के रूप में प्रदर्शित करवाया गया था, वह असल नहीं है और इस पर नीचे की ओर जहां Prepared By, Checked by व Approved by का अंकन किया गया है, इस पर किसी भी व्यक्ति के हस्ताक्षर नहीं हो रहे हैं और वादी की ओर से जो प्रदर्श–9 को प्रदर्शित करवाया गया है, जिसे परचेज ऑर्डर 911485 दिनांक 16.06.2006 बताया गया है, वो असल की प्रति है और प्रदर्श ए–1, प्रदर्श–9 दोनों एक ही परचेज ऑर्डर 911485 दिनांक 16.06.2006 के ही संदर्भ में है। प्रतिवादी ने इस ऑर्डर के जरिए तीन आइटम का ऑर्डर देना बताया है, जबकि प्रदर्श–9 में एक ही आइटम के संदर्भ में परचेज ऑर्डर दिया जाना अंकित है और इसी आधार पर ही प्रदर्श ए–1 को विधिनुसार साबित नहीं होना विचारण न्यायालय द्वारा माना गया है। प्रतिपरीक्षण में गवाह डी.डब्ल्यु.01 मृदुल गुप्ता द्वारा भी यह स्वीकार किया गया था कि प्रदर्श–9 को प्रतिवादी के अधिकारी आर.पी. सिंह ने तैयार किया था और प्रदर्श ए–1 व प्रदर्श–9 एक ही तारीख व एक ही नंबर के हैं। एक नंबर के परचेज ऑर्डर दो बार जारी नहीं किए जाते हैं। प्रदर्श ए–1 व प्रदर्श–9 में अंतर क्यों है, मैं कारण नहीं बता सकता। गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि प्रदर्श–9

(Downloaded on 12/08/2025 at 10:33:04 AM)

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official

में एक ही आइटम का आदेश दिया जाना अंकित है और प्रदर्श ए–1 में तीन आइटम का वर्णन क्यों किया गया है, इसकी जानकारी उसे नहीं है। गवाह डी.डब्ल्यु.01 मृदुल गुप्ता ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह भी कथन किया है कि प्रदर्श–9 प्रचेज ऑर्डर का माल प्रदर्श–10 से प्रदर्श–23 एवं प्रदर्श डी–13 के द्वारा भेजा गया था, जिसका भुगतान प्रतिवादी कंपनी कर चुकी है। प्रदर्श–10 से प्रदर्श–23 में एक्साइज ड्यूटी अलग से चार्ज की गई है। प्रदर्श–10 से प्रदर्श–23 तक वाउचर सही है। इस गवाह ने प्रतिपरीक्षण में यह भी कहा है कि एनेक्सचर–ए में के से एल अंकित सभी बिलों का भुगतान प्रतिवादी फर्म ने वादी को कर दिया था और के से एल इनवॉयस नंबर फायनेंस डिपार्टमेंट ने चेक किए गए थे। उक्त विभाग ने वादी फर्म के सारे वाउचर को देखकर भुगतान किया था। यह भुगतान सही किया गया था। एनेक्सचर–ए में के से एल इस गवाह ने नहीं देखे, क्योंकि इस गवाह ने उस वक्त ज्वॉइन ही नहीं किया था। इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया कि प्रदर्श डी–1 से प्रदर्श डी–6 तक बिलों में परचेज ऑर्डर नंबर 11/12 दिनांक 28.03.2006 अंकित है और प्रदर्श डी–1 से प्रदर्श डी–6 तथा एनेक्सचर–ए में आई से जे में परचेज ऑर्डर नंबर में अंतर क्यों है, यह नहीं बता सकता। इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया कि प्रतिवादी कंपनी वादी फर्म को जुबानी आदेश माल खरीदने बाबत देती थी और प्रदर्श–1 व प्रदर्श–2 की बकाया राशि में से बाद राशि काटने से पहले उन्होंने वादी फर्म को नोटिस नहीं दिया था तथा सहमति प्राप्त नहीं की थी। उन्होंने डेबिट नोट ही भेज दिया था। गवाह ने यह भी कहा कि इस पत्रावली में ऐसा दस्तावेज पेश नहीं है जो प्रदर्श–1 व प्रदर्श–2 के पहले वादी कंपनी ने सहमति दी हो। ऐसा भी कोई वादी का हस्ताक्षरयुक्त पत्र नहीं है, जिसके आधार पर वादी ने प्रदर्श–1 व प्रदर्श–2 की राशि काटने बाबत सहमति दी हो। गवाह के अनुसार अकाउंट सेटल करवा दिया था, जिसकी कन्फर्मेशन मेल आ गई थी। लेकिन प्रदर्श

(Downloaded on 12/08/2025 at 10:33:04 AM)

डी–15 के दस्तावेज के अवलोकन से भी यह प्रकट होता है कि ये ईमेल किसी मयूर माहेश्वरी द्वारा नवीन नाम के व्यक्ति को भेजा गया था, जो कौन था, यह साक्ष्य में स्पष्ट नहीं है। प्रकरण में सबसे पहला परचेज ऑर्डर प्रदर्श–6 बताया जाता है, जिसमें नियम व शर्तों के क्रम संख्या 03 पर एक्साइज ड्यूटी इनक्लुसिव लिखा है। प्रत्यर्थी–वादी की ओर से अपीलार्थी–प्रतिवादी कंपनी को प्रदर्श–4 नोटिस भी भेजा गया था, जिसका जवाब भी प्रदर्श–5 प्रेषित किया गया था और गवाह डी.डब्ल्यु.01 मृदुल गुप्ता ने अपने प्रतिपरीक्षण में प्रदर्श–5 के जवाब में अंकित तथ्यों को सही होना स्वीकार भी किया था। प्रदर्श–5 के साथ संलग्न किया गया एनेक्सचर–ए में परचेज ऑर्डर नंबर 911401 अंकित है जबकि प्रतिवादी ने परचेज ऑर्डर नंबर 911485 के संदर्भ में अपनी समस्त प्रतिरक्षा रखी है। विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी–प्रतिवादी कंपनी द्वारा जो जवाब दावा पेश किया गया है, उसी के ही संदर्भ में प्रत्यर्थी–वादी द्वारा जवाबुल जवाब भी पेश किया गया था। डी.डब्ल्यु.01 मृदुल गुप्ता ने प्रतिपरीक्षण में यह भी स्वीकार किया कि वादी द्वारा गलत परचेज ऑर्डर लिखने बाबत भुगतान करने तक की उनकी कम्पनी ने कोई आपत्ति की अथवा नहीं, उसे पता नहीं है। इस प्रकार अभिलेख पर जो उपर्युक्त संपूर्ण साक्ष्य आई, उस पर निष्कर्ष देते हुए ही विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा यह माना गया था कि परचेज ऑर्डर के ही संदर्भ में वादी द्वारा उत्पाद शुल्क, सेस, सेल्स टैक्स, ट्रांसपोर्टेशन को माल की कीमत के साथ नहीं जोड़ा गया है, बल्कि अलग–अलग गणना की गई है। जिस संदर्भ में प्रदर्श–10 से प्रदर्श–23 प्रदर्शित व साबित भी करवाए गए और बिल संख्या 05 प्रदर्श–1 व बिल संख्या 06 प्रदर्श–2 को प्रतिवादी ने अपने जवाब दावे में व साक्ष्य में सही होना स्वीकार किया है तथा इन बिलों में वर्णित कुल राशि 16,00,984 रुपये में से 15,75,340 रुपये की कटौती करना भी बताया है, जिसे अभिलेख पर आई साक्ष्य के आधार पर गलत रूप से काटा जाना साबित

(Downloaded on 12/08/2025 at 10:33:04 AM)

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official

मानते हुए विद्वान विचारण न्यायालय ने निष्कर्ष देकर विवाद्यक संख्या 02 व 04 वादी के पक्ष में और विवाद्यक संख्या 05 प्रतिवादी के विरुद्ध ही निर्णीत किए हैं। इस प्रकार उक्त तीनों ही विवाद्यकों पर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभिलेख पर आई साक्ष्य के आधार पर विस्तृत रूप से साक्ष्य का उल्लेख करते हुए अपना निष्कर्ष दिया गया है, वह अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के परिप्रेक्ष्य में उचित एवं विधिसम्मत है।

18. विवाद्यक संख्या 06 व 08, जो कि मुख्य रूप से पक्षकारों के मध्य उत्पन्न हुए विवाद व बकाया राशि के संदर्भ में अकाउंट सेटल हो जाने बाबत थे, इस संबंध में डी.डब्ल्यु.01 मृदुल गुप्ता की साक्ष्य के अनुसार श्री मयूर माहेश्वरी ने दिनांक 14.01.2010 को ईमेल भेजते हुए सारा अकाउंट सेटल होना माना है, जो प्रदर्श ए–3 के रूप में प्रदर्शित करवाया गया। इस दस्तावेज बाबत प्रत्यर्थी–वादी की ओर से भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65–ए व 65–बी में वर्णित शर्तों की अनुपालना नहीं किए जाने से इस दस्तावेज को साक्ष्य में अग्राह्य होना कथन किया है। साथ ही साथ उनका यह भी कहना है कि उक्त ईमेल किसको भेजा गया है, साबित नहीं होता है। उक्त ईमेल में ऐसा भी कोई उल्लेख नहीं था कि पक्षकारों के मध्य जो 15,75,340 रुपये का विवाद था, उसका कोई अकाउंट सेटल हो गया हो। न ही इसमें बिल संख्या 05 व 06 का कोई उल्लेख था। इस संदर्भ में डी.डब्ल्यु.01 मृदुल गुप्ता ने भी प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि ऐसे ईमेल कम्प्यूटर शॉप से कोई भी व्यक्ति भेज सकता है। इस प्रकार अभिलेख पर जो साक्ष्य आई है, उस पर निष्कर्ष देते हुए ही विद्वान विचारण न्यायालय ने यह माना है कि इन परिस्थितियों में यह नहीं कहा जा सकता कि वादी फर्म की ओर से कोई ईमेल भेजकर अथवा अन्य किसी प्रकार से पक्षकारों के बीच पूरा हिसाब सेटल कर दिया जाना माना गया हो। ऐसी स्थिति में विवाद्यक संख्या 06 व 08, जिनको साबित करने का भार प्रतिवादी पर था, वो उसी अनुरूप साबित नहीं

(Downloaded on 12/08/2025 at 10:33:04 AM)

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official

कर पाने पर अपीलार्थी–प्रतिवादी कंपनी के विरुद्ध निर्णीत किए गए हैं, जो अभिलेख पर आई साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में उचित एवं विधिसम्मत है।

19. विवाद्यक संख्या 07 को भी साबित करने का भार अपीलार्थी–प्रतिवादी पर था और विद्वान विचारण न्यायालय ने गवाह डी.डब्ल्यु.01 मृदुल गुप्ता द्वारा जो साक्ष्य में शपथ पत्र पेश किया गया है, उसके पद संख्या 05 में डेबिट नोट प्रदर्श ए–2 को प्रदर्शित करवाया गया है, उसे वास्तविक रूप से पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज पर प्रदर्श नहीं डाले जाने और पत्रावली में संलग्न डेबिट नोट की मात्र फोटो प्रति होने से इसे साबित नहीं होना पाया है। इस स्थिति में इस विवाद्यक को अपीलार्थी–प्रतिवादी कंपनी द्वारा साबित नहीं कर पाने से उनके विरुद्ध निर्णीत किया गया है, जो कि उक्त निष्कर्ष को देखते हुए सही पाया जाता है।

20. विवाद्यक संख्या 03 व 09, जो कि मुख्य अनुतोष के संदर्भ में है और विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा ये पाया गया कि विवाद्यक संख्या 01, 02 व 04 वादी द्वारा अपने पक्ष में साबित करवाए गए हैं और विवाद्यक संख्या 05, 06, 07 व 08 प्रतिवादी अपने पक्ष में साबित नहीं करा पाया है। ऐसी स्थिति में जो बकाया राशि 15,75,340 रुपये व ब्याज की गणना की गई थी, उसके साथ–साथ परचेज ऑर्डर प्रदर्श–03 में वर्णित शर्तों के अनुरूप बकाया राशि पर 12 प्रतिशत की दर से ब्याज दिलाने की जो प्रार्थना की गई थी, उसे उचित नहीं मानकर 9 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर दिलाया जाना ही उचित पाया है और इसी अनुरूप ही विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपना जो निष्कर्ष दिया गया है, वह भी अभिलेख पर आई साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में सही पाया जाता है।

21. प्रकरण में एक अतिरिक्त विवाद्यक संख्या 01 भी विरचित किया गया है, जो कि न्यायालय के क्षेत्राधिकार से संबंधित है। अपीलार्थी–प्रतिवादी कंपनी

(Downloaded on 12/08/2025 at 10:33:04 AM)

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official

इस विवाद्यक को अपने पक्ष में साबित करा पाने में असफल रही है। अपीलार्थी–प्रतिवादी कंपनी का मुख्य रूप से यह तर्क रहा है कि वाद हेतुक जोधपुर में उत्पन्न नहीं हुआ, साथ ही उसका कार्यालय भी जोधपुर में स्थापित नहीं है, जिस कारण इस मामले में जोधपुर न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं बनता है। किन्तु अभिलेखीय साक्ष्य, विशेषकर प्रदर्श–1 व प्रदर्श–2 के अवलोकन से स्पष्ट है कि दोनों दस्तावेजों पर 'Subject to Jodhpur Jurisdiction Only' अंकित है, जो पक्षकारों की मंशा एवं क्षेत्राधिकार निर्धारण के लिये पर्याप्त रूप से महत्त्वपूर्ण तथ्य है। साथ ही, पी.डब्ल्यू.01 जितेन्द्र माहेश्वरी के द्वारा अपने साक्ष्य के शपथ पत्र में यह अंकित किया है कि सम्बंधित माल का परचेज ऑर्डर, माल को तैयार करने की प्रक्रिया, निरीक्षण व रवानगी जोधपुर स्थित फैक्ट्री में ही हुई। पी.डब्ल्यू.01 जितेन्द्र माहेश्वरी द्वारा किए गए इन कथनों को अपीलार्थी–प्रतिवादी कंपनी के अधिवक्ता द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में असत्य सिद्ध करने अथवा न्यायालय का क्षेत्राधिकार निषेधित करने के कोई ठोस साक्ष्य अभिलेख पर नहीं लाए गए हैं। अतः अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का पूर्ण विवेचन करने पर विचारण न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष दिया गया कि वाद हेतुक जोधपुर न्यायालय के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अतिरिक्त विवाद्यक संख्या 01 के संबंध में जो निष्कर्ष दिया गया है, वह अभिलेख पर आई साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य न्यायोचित एवं विधि–सम्मत प्रतीत होता है।

22. इस प्रकार उपर्युक्त संपूर्ण साक्ष्य के आधार पर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा सभी विवाद्यकों पर दोनों पक्षकारों की ओर से जो मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की गई है, उसका सही रूप से विवेचन और विश्लेषण करते हुए जो निष्कर्ष दिया गया है, वह बिल्कुल उचित, विधिसम्मत एवं सकारण है, जिसमें हस्तक्षेप किए जाने के कोई पर्याप्त आधार नहीं है।

(Downloaded on 12/08/2025 at 10:33:04 AM)

इसलिए आक्षेपित निर्णय स्थिर रहने योग्य है। अपीलार्थी–प्रतिवादीगण की अपील बलहीन व सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है।

23. परिणामतः अपीलार्थी–प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत यह अपील खारिज की जाती है तथा विद्वान अपर जिला न्यायाधीश, संख्या 05, जोधपुर महानगर के द्वारा मूल दीवानी वाद संख्या 193/2012 जितेन्द्र माहेश्वरी बनाम मैसर्स एकमे टेली पॉवर लिमिटेड व अन्य में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18 जनवरी, 2014 की पुष्टि की जाती है।

24. इस अपील के विचारण के दौरान, यदि अपीलार्थी–प्रतिवादीगण कंपनी द्वारा प्रत्यर्थी–वादी को कोई राशि अदा की गई है, तो उसे नियमानुसार डिक्रीकृत राशि में समायोजित करने के पश्चात् शेष बची राशि को ही प्रत्यर्थी–वादी प्राप्त करने का हकदार होगा।

25. इस अपील के निस्तारण के साथ ही इस अपील से संबंधित S.B. Civil Misc. Stay Petition No. 599/2014 को भी उपर्युक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

26. इस निर्णय की प्रति सहित विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख शीघ्र प्रेषित हो।

(CHANDRA SHEKHAR SHARMA),J

01-Rajendra/-

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official

(Downloaded on 12/08/2025 at 10:33:04 AM)